

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं पर अग्निशमन अधिकारी, संजयप्लेस, आगरा के पत्रांक न-/अ.सु.-स्कूल/09(संजयप्लेस) दिनांक: 31.03.2015 के द्वारा स्कूल- बोस्टन पब्लिक स्कूल दहतौरा रोड, बोदला ब्लाक शहरक्षेत्र, आगरा का स्थलीय निरीक्षण कर सस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी। संलग्न मानचित्र व अग्निशमन अधिकारी की आख्या के अनुसार स्कूल भवन ग्राउण्ड व प्रथम तल पर बना है, जो लोराइज अर्थात् 15 मीटर से कम की उँचाई की श्रेणी में आता है तथा अनुमन्य मानकों के अनुसार भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ पूर्ण करा दी गयी हैं।

अतः उक्त शैक्षणिक भवन हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक यह प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है तथा निर्गत एक वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा चालान पास कराकर लेखा शीर्षक 0070- अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव में धन जमा कराकर फायर एक्सटिंग्यूशरों एवं अन्य सिरस्त्रों को स्थानीय अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से चैक कराते हुए प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, स्कूल भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के अनुपलब्ध या अकार्यशील पाये जाने पर जारी किया गया यह प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं व्यवस्थापक की होगी।

संलग्नक : यथोपरि।

पत्रांक : सीएफओ-अ.सु.स्कूल-488/09

दिनांक : मार्च 31, 2015

Shivdyal Sharma
31/3/15

(शिवदयाल शर्मा)

अग्निशमन अधिकारी, संजयप्लेस,
कृते-मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपि : बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।